

उत्तराधिकार कर

प्रलिस के लयि:

[आर्थिक और सामाजिक विकास](#), [सतत विकास](#), गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, आदी।

मेन्स के लयि:

भारतीय अर्थव्यवस्था और नयोजन, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वपिक्षी दल के एक प्रमुख राजनीतिक नेता ने **उत्तराधिकार कर** पर प्रस्तावति कानून में रुचि वियक्त की है।

- भारत में [आय असमानता](#) को दूर करने के लयि धन के पुनर्वतिरण के लयि **उत्तराधिकार कर** को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के बारे में बहुत चर्चा हुई है।

उत्तराधिकार कर क्या है?

परचिय:

- उत्तराधिकार कर एक ऐसा कर है जो कसिी मृत वयक्त से **संपत्तिया परसंपत्ति वरिसत** में प्राप्त करने के लयि चुकाया जाता है।
- यह लाभार्थी द्वारा प्राप्त वरिसत के मूल्य पर लगाया जाता है, और इसका भुगतान **लाभार्थी द्वारा कया जाता है**।
- देश के आधार पर, यह 55% तक हो सकता है।
- कोई वयक्ति **वसीयत के तहत** या मृतक के **वयक्तगत कानून** के तहत उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है।
- भारत में उत्तराधिकार पर कर लगाने की अवधारणा अब **मौजूद नहीं है**।

उत्तराधिकार कर की गणना:

- पहला कदम **संपत्ति का कुल मूल्य** निर्धारति करना है।
 - इसमें मृतक के स्वामतिव वाली सभी संपत्तियों के मूल्य का आकलन करना शामिल है, जसिमें कसिी भी बकाया ऋण या देनदारियों पर भी वचिर करते हुए, [रयिल एस्टेट](#), [नविश](#), बैंक खाते, वाहन और वयक्तगत सामान शामिल होते हैं।
- उत्तराधिकार कर लागू होगा या नहीं यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जसिमें संपत्ति का कुल मूल्य और क्षेत्राधिकार कानून भी शामिल हैं।
 - कुछ स्थानों पर, कुछ लाभार्थियों, जैसे पति/पत्नी या बच्चों को उत्तराधिकार कर का भुगतान करने से छूट मलि सकती है या कम दर प्राप्त हो सकती है।

इसे समाप्त करने का कारण:

- प्रकरयात्मक उत्पीडन:** संपत्ति पर दो अलग-अलग करों यानी **संपत्तिकर** (मृत्यु से पहले) और **एस्टेट ड्यूटी** (मृत्यु के बाद), के असततिव से करदाताओं को अनुचति रूप से परेशान कया जा रहा था।
- अपूर्ण उद्देश्य:** धन के असमान वतिरण में कोई कमी नहीं आई, जबकि कर से राज्यों को उनकी विकास योजनाओं के वतितपोषण में भी महत्त्वपूर्ण सहायता नहीं मलि।
- आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं:** जबकि वरिष 1985 में एस्टेट ड्यूटी से उपज केवल 20 करोड़ रुपए थी, जबकि इसके प्रशासन और संग्रह की लागत अपेक्षाकृत अधिक थी।
- कर चोरी:** कराधान की उच्च दरों के परिणामस्वरूप अक्सर पूंजी और नविश अनुकूल कर दरों वाले टैक्स हेवेन या कर क्षेत्राधिकार की ओर पलायन कर जाते हैं।

दुनिया भर में उत्तराधिकार कर के उदाहरण:

- अधिकांश यूरोपीय, अमेरिकी और यहाँ तक कि अफ्रीकी देश उत्तराधिकार कर लगाते हैं।
- यूरोप में उत्तराधिकार में माली संपत्तियों पर कर लगाने वाले शीर्ष देश फ्रांस (60%), जर्मनी (50%), यूनाइटेड किंगडम (40%), स्पेन (33%) और हंगरी (18%) हैं।
- उच्च उत्तराधिकार करों वाले अन्य देश जापान (55%), दक्षिण कोरिया (50%), इक्वाडोर (37%), चिली (25%), दक्षिण अफ्रीका (25%) और ताइवान (20%) हैं।

भारत में उत्तराधिकार कर लागू करने की मांग को कौन-से कारक प्रभावित करते हैं?

- भारत में धन और आय असमानता में वृद्धि:
 - विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर सबसे असमान देशों में से एक है, शीर्ष 10% और शीर्ष 1% देशों के पास क्रमशः 57% तथा 22% राष्ट्रीय आय है।
 - इसके अतिरिक्त नचिले 50% राष्ट्रों की हसिसेदारी घटकर मात्र 13% रह गई है।
 - भारत अत्यधिक संपत्ति असमानता प्रदर्शित करता है, जिसमें शीर्ष 10% जनसंख्या के पास कुल राष्ट्रीय संपत्तिका 77% हिस्सा है।
 - भारत में 1% धनी व्यक्तियों के पास देश की 53% संपत्ति है, जबकि जनसंख्या के अधिकांश गरीब तबके के पास केवल 4.1% संपत्ति है।
- गरीबों पर कर चुकाने का दबाव:
 - देश में कुल वस्तु एवं सेवा कर (GST) का लगभग 64% नीचे की 50% जनसंख्या द्वारा प्राप्त हुआ, जबकि 10% शीर्ष द्वारा केवल 4% प्राप्त हुआ।
- समावेशी विकास का अभाव:
 - आर्थिक लाभ का वषिम वितरण: आर्थिक विकास से कुछ क्षेत्रों या आय समूहों को असमान रूप से लाभ हो सकता है, जिससे धन का असमान वितरण हो सकता है।
 - सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी: अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जाल होने तथा कल्याण कार्यक्रम का कमजोर जनसंख्या को पर्याप्त समर्थन न दिये जाने के कारण जनसंख्या में धन का अंतर बढ़ सकता है।
 - नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, वर्ष 2019-21 में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की जनसंख्या 14.96% थी।
 - भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 19.28% बहुआयामी गरीबी दर की गई।
 - शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर 5.27% थी।
 - भारत में गिनी संपत्ति गुणांक वर्ष 2017 में बढ़कर 85.4% हो गया है जो वर्ष 2013 में 81.3% था (100% अधिकतम असमानता का प्रतिनिधित्व करता है)। भारत में विकास समावेशी नहीं रहा है।
- सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों के लिये वृत्तिक: उत्तराधिकार कर से प्राप्त होने वाला वृत्तिक (Endowments) और धनराशि भारतीय अस्पतालों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों के लिये आवश्यक है। उदाहरण के लिये, संपदा से धन प्राप्त करने वाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय को उत्तराधिकार कर से छूट प्राप्त है।
- अधिक प्रत्यक्ष करों की और आवश्यकता: हाल के वर्षों में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा है। इसलिये FRBM अधिनियम के अनुसार, राजकोषीय घाटे को न्यंत्रित करने के लिये उत्तराधिकार कर जैसे प्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त स्रोतों की खोज की जानी चाहिये।
- अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ: इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश तथा भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई समकक्ष जैसे फिलीपींस, ताइवान और थाईलैंड उत्तराधिकार कर वसूल रहे हैं।

विश्व बैंक अध्ययन 2000 द्वारा (1970-1990 के दौरान भारत की नरिधनता में कमी):

- जब शुरुआती वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मात्र 3.5% से बढ़ी, तो भारत की नरिधनता में नरितर कमी हुई।
- अध्ययन में पाया गया कि औसत उपभोग में वृद्धि गरीबी में कुल कमी का आश्चर्यजनक रूप से 87% है, जबकि पुनर्वितरण इस गरीब का केवल 13% है।

भारत में उत्तराधिकार कर के कार्यान्वयन में लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?

लाभ:

- धन का अधिक कुशलता से वितरण: भारत में अमीर और सबसे अमीर परिवारों को बड़ी मात्रा में धन वरिसत में मिला।
 - यह न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से असंगत है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता को भी प्रतबंधित करता है।
 - इस प्रकार, उत्तराधिकार करों का उचित कार्यान्वयन इस समस्या को काफी हद तक दूर कर सकता है।
- समतावादी आदर्शों पर आधारित: भारत के संविधान में समानता के अधिकार के सिद्धांत में नहित समानता सुनिश्चित करने के लिये प्रारंभिक

वृत्तिक का पुनर्वितरण उस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- **प्रगतशील प्रकृति:** उत्तराधिकार कर (Inheritance tax) एक प्रगतशील कर है क्योंकि यह केवल धनी व्यक्तियों पर अधिक कर का भार डालता है।
 - उत्तराधिकार कर के रूप में एकत्रित इस अतिरिक्त कर राजस्व से शासन को देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर **मुलआयकर दायित्व** को कम करने की स्वतंत्रता मिलेगी।
 - इससे अधिक उद्यम उपक्रम प्रारंभ करने में आने वाली बड़ी बाधाओं से निपटने में सहायता मिल सकती है।

चुनौतियाँ:

- **कर संरचना की जटिलता:** भारत में पूर्व से ही केंद्र और राज्य स्तरों पर विभिन्न करों के साथ एक जटिल कर प्रणाली मौजूद है।
 - उत्तराधिकार कर जैसे अतिरिक्त कर को लागू करने से यह जटिलता और बढ़ जाएगी, जिससे अनुपालन एवं प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
 - उत्तराधिकार कर को लागू और प्रशासित करने के लिये एक दृढ़ प्रशासनिक बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।
- **धनी परिवारों का प्रतिरोध:** भारत में धनी परिवार उत्तराधिकार कर लगाने का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनके उत्तराधिकारियों को दी जाने वाली संपत्ति की मात्रा कम हो जाएगी।
 - यह प्रतिरोध राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रकट हो सकता है, जिससे शासन के लिये भारत में इस प्रकार के कर को लागू करना तथा जारी रखना कठिन हो जाएगा।
 - उत्तराधिकार कर का परिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ उत्तराधिकार महत्त्वपूर्ण है।
- **व्यापक डेटा का अभाव:** एक प्रभावी उत्तराधिकार कर को लागू करने के लिये व्यक्तियों की संपत्ति एवं परिसंपत्तियों से संबंधित सटीक डेटा की आवश्यकता है।
 - भारत में उत्तराधिकार और धन वितरण पर व्यापक डेटा एकत्र करने में चुनौतियाँ हो सकती हैं, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाएँ प्रचलित हैं।
- **परिहार एवं अपवंचन:** अत्यधिक धनी व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान ट्रस्ट, वदेशी खाते एवं संपत्ति उपहार में देने जैसे विभिन्न माध्यमों से उत्तराधिकार कर से बचने या अपवंचन का प्रयास कर सकते हैं।
- **कृषि भूमि पर प्रभाव:** भारत में कृषि योग्य भूमि महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं आर्थिक मूल्य रखती है और इसे उत्तराधिकार के रूप में देना पीढ़ियों से चला आ रहा है।
 - कृषि भूमि पर उत्तराधिकार कर लगाने से कृषि समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है और भूमि जोत के बखिड़न के विषय में चर्चाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

भारत में अन्य कौन-से कर हैं?

- **मृत्यु कर:** 1953 में भारत की संसद ने संपदा शुल्क 'मृत्यु कर' अधिनियम पारित किया था, जिसे बाद में 1985 में समाप्त कर दिया गया था।
 - अधिनियम के अनुसार, यह कर कृषि भूमि सहित **चल और अचल संपत्ति के मूल मूल्य पर** लगाया गया था, वह संपत्ति जो इस के स्वामी की मृत्यु के उपरांत किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में दी गई थी।
 - यह अधिनियम केवल तभी लागू होता था जब संपत्ति के मालिक की मृत्यु वयस्क अवस्था में हो जाती थी (अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो)।
 - इसके अतिरिक्त, **संपत्ति शुल्क** केवल उत्तराधिकार में प्राप्त उन संपत्तियों पर लागू होता था, जिनका मूल्य अधिनियम द्वारा निर्धारित बहिष्करण सीमा से अधिक था, तथा कर की दर की गणना संपत्ति के स्वामी की मृत्यु के समय के बाजार मूल्य के अनुसार की जाती थी।
 - इसमें भारत और वदेश में मृतक के स्वामित्व वाली **चल व अचल संपत्तियाँ** सम्मिलित थीं, जो उत्तराधिकारी को प्रदान दी जाती थीं- यद्यपि संपत्ति के स्वामी की मृत्यु भारत में नवास करते समय हुई थी।
- **उपहार कर (Gift Tax):**
 - उपहार कर अधिनियम **1958** में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने उस वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिये गए किसी भी 'उपहार' पर शुल्क लगाया।
 - इस पर 30% की दर से शुल्क लगाया गया था।
 - उपहार को 01 अप्रैल, 1957 के बाद धन के संदर्भ में इसके मूल्य पर विचार किये बिना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से हस्तांतरित किसी भी मौजूदा **चल या अचल संपत्ति के रूप में परिभाषित** किया गया था।
 - उद्देश्य यह था कि जब एक उच्च आयकर दाता ने निम्न आयकर के दायरे में आने वाले दानकर्त्ता को संपत्ति हस्तांतरित की तो सरकार ने कम हुए कर राजस्व में से कुछ की वसूली करना चाहा।
 - संपत्ति शुल्क लागू करते समय आने वाली समान बाधाओं के कारण, इस कर को **1998 में समाप्त** कर दिया गया था।
 - इसे **2004 में आयकर अधिनियम** में परिवर्धन के भाग के रूप में वित्त अधिनियम में पुनः प्रस्तुत किया गया था।
 - 50,000 रुपए से अधिक का कोई भी नकद उपहार और 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का कोई भी उपहार (यानी अचल संपत्ति) कर योग्य है।
 - अपवादों में शादियों के दौरान प्राप्त दान, वरिष्ठ और उपहार राशि शामिल हैं।
- **संपत्तिकर (Wealth Tax):**
 - इसे **1957** में किसी व्यक्ति की **नविल संपत्ति** पर शुल्क लगाने के लिये पेश किया गया था।
 - उस वित्तीय वर्ष में एक नागरिक द्वारा अर्जित **30 लाख रुपए** से अधिक की कमाई पर **1% शुल्क** लगाया गया था।
 - यह कर भारतीय नागरिकों की सभी संपत्तियों और केवल **प्रवासी भारतीयों (Non-Residential Indians (NRI))** की भारतीय

संपत्तियों पर लगाया गया था।

- इस शासन के दायरे में आने वाली संपत्ति में सोना, चाँदी और प्लैटिनम के गहने, नज़्ज़ी वमिान, जहाज़ व कार जैसे परिवहन वाहन, किसी के आवासीय घर के अतिरिक्त संपत्ति तथा 50,000 रुपए से ऊपर की कोई भी नकदी शामिल थी।
- कानून के तहत छूट में करिये की संपत्ति, व्यावसायिक संपत्ति, निर्धारित सीमा से कम छोटी संपत्ति और योजनाओं में नविश शामिल हैं।
- कार्यान्वयन में भारी लागत के कारण **2015 में इस कर को भी समाप्त कर दिया** गया था।

आगे की राह

- **उच्च सीमा निर्धारित करना:** यदि सरकार उत्तराधिकार कर लागू करने का उद्देश्य रखती है, तो उसे इसे एक उच्च सीमा के साथ लागू करना चाहिये, ताकि केवल अत्यधिक-अमीर लोगों पर ही कर लगाया जा सके।
- **दान हेतु छूट का प्रावधान:** अत्यधिक अमीरों द्वारा अस्पतालों और विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली बंदोबस्ती को उत्तराधिकार कर गणना से छूट दी जानी चाहिये।
- **सरकार की कर प्रशासनिक क्षमता में सुधार:** कर एजेंसियों को उत्तराधिकार कर के प्रशासन और नगिरानी अनुपालन की लागत को कम करने के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिये।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

उत्तराधिकार कर (Inheritance tax) क्या है और इसे भारत में क्यों समाप्त कर दिया गया? भारत में आर्थिक असमानता को कम करने पर इसकी वांछनीयता और प्रभाव पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न 'आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण' शब्द को कभी-कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

- बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संसाधन संपन्न लेकिन पछिड़े क्षेत्रों में खनन संचालन
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर अपवंचन पर अंकुश लगाना
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश के अनुवांशिक संसाधनों का शोषण
- विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागत के वचिर की कमी

उत्तर (B)

प्रश्न. वर्ष-परतविरष नरितर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा नमिनलखिति में से कौन-सी कार्यवाई/कार्यवाईयों की जा सकती है/हैं? (2015)

- राजस्व व्यय में कमी लाना
- नई कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ करना
- उपदानों (सब्सिडी) का युक्तकिरण करना
- उद्योगों का वस्तितार करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- केवल 1
- 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वति जीएसटी के राजस्व नहितार्थों पर भी टपिपणी कीजिये। (2019)

